भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 721
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

त्योहारों के समय में हवाई किराए में बढ़ोतरी

721. श्रीमती जून मालिया:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को त्योहारों के समय और आपातकालीन अवधि के दौरान विमान किराए में भारी बढ़ोतरी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या किसी सीमा या एल्गोरिथमिक विनियमन पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): हवाई किराया सरकार द्वारा विनियमन के अधीन नहीं हैं और एयरलाइनें वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 का पालन करते हुए अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर हवाई किराया निर्धारित कर सकती हैं। हवाई किराए का मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग की मौलिक आर्थिक शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अध्यधीन है। वर्तमान सीट अधिभोग, ईंधन लागत, विमान क्षमता, मौसमी उतार-चढ़ाव और अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे विभिन्न निर्धारक एयरलाइन टिकट मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइनों द्वारा वसूल किया जाने वाला हवाई किराया निर्धारित टैरिफ शीट की सीमाओं के भीतर रहे। तथापि, वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप नियम (2) का पालन न करने की आपवादिक परिस्थितियों में, सभी संबंधित एयरलाइनों को आवश्यक निदेश जारी किए जा रहे हैं।

जबकि सरकार आम तौर पर बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित करने से परहेज करती है, तथापि, यह यात्रियों के लिए असाधारण परिस्थितियों यथा महामारी, महाकुंभ और पहलगाम हमले जैसी स्थितियों में हवाई यात्रा को किफायती सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करते हुए सतर्क निगरानीकर्ता की भूमिका निभाती है।

इसके अलावा, सरकार, अनुसूचित एयरलाइनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है और उन्हें त्योहारों के मौसम के दौरान या मांग में वृद्धि की स्थितियों के दौरान अतिरिक्त उड़ानों को

तैनात करके क्षमता बढ़ाने की सलाह देती है। अक्तूबर 2025 में, त्योहारों में अधिक मांग को पूरा करने के लिए, एयरलाइनों ने 100 क्षेत्रों में 1750 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा करके उड़ान क्षमताओं को बढ़ाकर प्रतिक्रिया दी। क्षमता वृद्धि के परिणामस्वरूप, अधिकांश क्षेत्रों में किराए में सामान्य कमी देखी गई। यह सक्रिय दृष्टिकोण स्थानीय घटनाओं या अप्रत्याशित परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली अचानक मूल्य वृद्धि को कम करने का कार्य करता है।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, डीजीसीए ने टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके औचक आधार पर, चयनित 78 मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (2) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा घोषित सीमा के बाहर हवाई किराया नहीं वसूल रही हैं। इसमें लगभग 27% घरेलू यातायात शामिल है। ऐसा करके, टीएमयू एयरलाइनों के निर्धारित टैरिफ की सीमाओं के अंदर, हवाई किराये के स्तर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।

*****